भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 622
24.07.2022 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

622. **श्रीमती मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:**
श्री महावली सिंह:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री सय्यद इमत्याज जलील:
श्री गजेन्द्र उमराव सिं ह पटेल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जटिल जलवायु मुद्दों से निपटने के लिए और इस संबंध में अधिक सहयोग पर जोर देने के लिए अपनी जी-20 अध्यक्षता का उपयोग कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार एक व्यापक हरित औद्योगिक नीति अपनाने पर कार्य कर रही है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विशेषकर मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जलवायु परिवर्तन ने देश में वनों को होने वाले नुकसान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दूर करने और वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क): जी-20 में सम्मिलित देश वृद्धि एवं विकास के विभिन्न चरणों में विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के स्पेक्ट्रम का प्रधिनिधित्व करते हैं। भारत की जी-20 अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा संधारणीय विकास का अनुसरण करने हेतु एक एकीकृत, व्यापक और पारस्परिक सहमति पर आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। भारत की जी-20 अध्यक्षता में, पर्यावरण एवं जलवायु संधारणीयता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को शामिल करके ध्यान केन्द्रित करता है अर्थात् भूमि के अवक्रमण को रोकना, पारि-तंत्र की पूर्व स्थिति की बहाली में तेजी लाना तथा जैव-विविधता को समृद्ध बनाना; संधारणीय और जलवायु-क्षम ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना तथा संसाधनों के किफायती उपयोग एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना। चूंकि जलवायु परिवर्तन विभिन्न सेक्टरों से संबंधित विषय है, अत: इसका समाधान ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह (ईटीडब्ल्यूजी) और संधारणीय वित्त कार्य समूह (एसएफडब्ल्यूजी) सहित कुछ अन्य कार्य समूहों में किया जाता है।

(ख) से (ड.): भारत ने नवंबर, 2022 में, वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में यूएनएफसीसीसी को अपनी दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास कार्यनीति (एलटी-एलईडीएस) प्रस्तुत की है। एलटी-एलईडीएस में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में विकास को उत्सर्जनों से अलग रखने को बढ़ावा देने

तथा एक कुशल, नवाचारी निम्न उत्सर्जन वाला औद्योगिक तंत्र स्थापित करने सहित सात प्रमुख सेक्टरों में वर्तमान नीतियों एवं कार्यक्रमों तथा निम्न कार्बन उत्सर्जन से विकास करने के लिए परिकल्पित परिवर्तनों की रूप-रेखा उपलब्ध कराई गई है।

भारत के जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यकलाप जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य-योजना (एनएपीसीसी) के तहत कार्यान्वित किए जाते हैं, जो सर्वव्यापक नीतिगत कार्यढांचा है और जिसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा की बचत में वृद्धि, जल, कृषि, हिमालयी पारि-तंत्र, संधारणीय पर्यावास, हरित भारत, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक जानकारी के विशिष्ट क्षेत्रों में संचालित राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। ये राष्ट्रीय मिशन विनिर्दिष्ट संबंधित मंत्रालयों द्वारा संचालित किए जाते हैं। प्रत्येक मिशन में विकास को सुनिश्चित करते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उसकी अपनी कार्य-योजना है। एनएपीसीसी के तहत राष्ट्रीय संधारणीय पर्यावास मिशन (एनएमएसएच) में शहरी शासन, क्षमता संवर्धन, प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित जलवायु समर्थक जलवायु संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं। इस मिशन में शहरी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का समाधान करने हेतु उपशमन एवं अनुकूलन संबंधी कार्यनीतियां हैं।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश सहित 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जलवायु परिवर्तन संबंधी अपनी राज्य कार्य-योजनाएं (एसएपीसीसी) तैयार की है जिनमें जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के उपशन और उनके प्रति अनुकूलन के लिए किसी सेक्टर विशेष के तथा विभिन्न सेक्टरों के कार्यकलाप शामिल हैं। मध्य प्रदेश के शहरों में संधारणीय अपशिष्ट प्रबंधन, परिवहन, आवासन आदि के लिए विभिन्न पहलें की जा रही हैं जिनमें स्मार्ट सिटीज मिशन, जो एनएमएसएच का हिस्सा है, के तहत की जा रही पहलें शामिल हैं।

भारत सरकार देश में वन और वृक्षावरण में सुधार लाने तथा वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) तथा राष्ट्रीय हरित भारत मिशन जैसी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लोगों की भागीदारी से स्कूल नर्सरी और शहरी वानिकी कार्यक्रमों में भी सहयोग प्रदान करता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अपने वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण कार्यक्रम हैं। नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार, गत सात वर्षों (आईएसएफआर 2015 से आईएसएफआर 2021) में देश के कुल वनावरण में 12,294 वर्ग मि.मी. की वृद्धि हुई है।

******